



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



अमित कुमार पाण्डेय, भा.प्र.से.
कार्यपालक निदेशक

आदेश सं.: SHSB/GA/HR/8896/2026/.....

पटना, दिनांक:/...../2026

—:आदेश:—

विज्ञापन संख्या-08/2025 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को आदेश ज्ञापांक-76 दिनांक 06.04.2026 के द्वारा ANM के संविदागत पदों पर नियोजित करते हुए विभिन्न जिलों के स्वास्थ्य संस्थान में पदस्थापित किया गया था। उक्त आदेश में दिनांक 20.04.2026 तक योगदान करने हेतु अभ्यर्थियों को निदेशित किया गया था।

कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न कारणों के आधार पर योगदान करने तथा बॉण्ड एवं एकरारनामा सम्पन्न कराने की तिथि को विस्तारित करने हेतु अनुरोध आवेदन समर्पित किये गये हैं, जिसपर सम्यक् विचारोपरांत राज्य में ANM की आवश्यकता के दृष्टिगत वैसे सभी अभ्यर्थी, जिनके द्वारा किन्हीं कारणों से उक्त निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं दिया है, को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए योगदान करने तथा बॉण्ड एवं एकरारनामा सम्पन्न करने की तिथि को **दिनांक 13 जुलाई, 2026 तक** विस्तारित किया जाता है। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त समझी जाएगी।

उक्त पदस्थापन आदेशों की शेष शर्तें एवं निर्देश यथावत रहेंगी।

ह०/-

(अमित कुमार पाण्डेय)

ज्ञापांक: SHSB/GA/HR/8896/2026/...883

पटना, दिनांक: 03/07/2026

प्रतिलिपि: सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जि.स्वा.समिति/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जि.स्वा.समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशासी पदाधिकारी-सह-प्रभारी, मा.सं./अपर निदेशक, वित्त/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/ सभी संबंधित राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/राज्य शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधक (NUHM), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर देखा एवं डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है।

कार्यपालक निदेशक